संख्या—954/9—आ—3—99—13 वि/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 5 मार्च, 1999

विषय : उत्तर प्रदेश, आद्योगिक विकास निगम क्षेत्रों में अतिक्रमण और अप्राधिकृत निर्माण नियंत्रण, शमन आदि विषयक अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 8911/9—आ—5—92—626 डी0ए0/92, दिनांक 26.12.1992 तथा 4176/9—आ—3—98—626 डी0ए0/92, दिनाँक 5.2.1998 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन केसमख ऐसे उदाहरण हैं कि विकास क्षेत्रों मे स्थित उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम क्षेत्रों में जितने भी अतिक्रमण अथवा स्वीकृत नक्शे के विरूद्ध निर्माण किये जाते हैं, उसका नियमितीकरण अथवा शमन अभी तक प्राधिकरण द्वारा ही किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों पर समय—समय पर आच्छादित क्षेत्रफल के घटने—बढ़ने के कारण भूमि विवाद तथा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा सड़ाकें एवं पार्कों पर पूर्ण रूप में अवैध निर्माण कर कब्जा करने का तथ्य भी संज्ञान में लाया गया है। शासनादेशानुसार अब कोई भी निरीक्षणकर्ता किसी औद्योगिक संस्थान में प्रवेश करने से पूर्व आयुक्त अथवा जिलाधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के आवंटियों द्वारा मास्टर प्लान कमे उल्लघंन की बात प्रकाश में आयी है। अब चूँकि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत ''वन विण्डोसिस्टम'' लागू कर दिया गया है, अतः उपयुक्त पाया गया कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 ही अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही करें ओर उससे होने वाली आय को अपने क्षेत्रों के विकास में लगाये क्योंकि शासनादेशानुसार जो भी आय शमन अथवा अतिक्रमण हटाने से होगी, उसे इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड, जो जिलाधिकारी के अधीनस्थ होगा, को आयुक्त के आदेशों से व्यय किया जायेगा।

अतएव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा—41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन यह निदेश देते हैं कि उक्त निगम के पदनामित पदेन उपसचिव को उनके कार्यक्षेत्र में स्थापित विकास प्राधिकरण में उक्त अधिनियम की धारा—15 के अधीन प्रतिनिहित अधिकारों के क्रम में धारा 25,26, 26,क 26 ख, 26 घ, 27, 28, 28 क, 32 तथा 41 के अधिकारों का प्रतिनिधायन अधिनियम की धारा—51 के अधीन कर दिया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या—954(1)/9—आ—3—99—13 वि/99 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रबन्ध निदेशगक, उ0प्र0 राज्य उद्योग विकास निगम, कानपुर।
(4) संबन्धित क्षेत्रीय प्रबंधक।
(5) अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु
(6) उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव